न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—349/2015/225 (2015/00167)

1. गोपाल पुत्र बालू, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम कल्याणीपुरा, तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी बड़लावाला बालाजी मंदिर के पास, प्लाट नंबर 13, केशवर नगर, बोहरा का बास, परबतसर, जिला नागौर ।
2. छोटीदेवी पत्नि घासीराम,
3. सोराम पुत्र घासीराम,
4. बिरदीचन्द पुत्र घासीराम,
5. रामेतार पुत्र घासीराम,
6. सुप्यार पुत्री घासीराम,
7. राजू देवी पुत्री घासीराम,
8. कंचन नाबालिग पुत्री घासीराम, नाबालिग जरिये सरंक्षक माता छोटी देवी पत्नि घासीराम ।

   समस्त जाति कुम्हार, निवासी ग्राम कल्याणीपुरा, तह0 रूपनगढ, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती छोटी बेवा भैरू, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
2. तहसीलदार, रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
3. उप पंजीयक, रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़, दिनांक 27.8.2015 अंतर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 40/2014.

उपस्थितः—

1. श्री रामदेव गुर्जर, वकील अपीलांटस।
2. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2 व 3.

निर्णय

दिनांकः— 29.11.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 27.8.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादीगण/अपीलांटस ने खसरा नंबर 84 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा ग्राम नंवा, तह0 रूपनगढ़ पर अपीलांटस का कब्जा काश्त होकर उपयोग, उपभोग करते आ रहे है । अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिवार के सदस्य, नौकर, चाकर व आदि व्यवधान अतिचार करने का प्रयास कर रहे है ।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 एवं उसके परिवार के सदस्य, नौकर, चाकर आदि को अपीलांटस के कब्जे काश्त में व्यवधान अतिचार नहीं करने हेतु ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 27.8.2015 द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अपीलांट संख्या 1 के पिता, अपीलांट संख्या 2 के ससुर एवं अपीलांट संख्या 3 लगायत 8 के दादा बालू पुत्र शिवलाल के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि राजस्व ग्राम नंवा में अवस्थित थी जिसके वर्तमान खसरा नंबर 84 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा है । अपीलांटस के पूर्वाधिकारी बालू पुत्र शिवलाल के नाम नामातकरण संख्या 110 दिनांक 24.5.1984 में विरासत का नामांतकरण अपीलांटस के पक्ष में खुलना चाहिये था जो अपीलांट संख्या 1 का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा एवं अपीलांट संख्या 2 लगायत 8 का 1/2 हिस्सा है । सरपंच ने नामांतकरण में गलत व मनगंढ़त तरीके से बालू को फौत होना अंकित किया है जबकि अपीलांटस बालू के विधिक वारिसान है । बहस में आगे कथन अकिया कि नामांतकरण संख्या 110 दिनांक 24.5.1984 अपीलांटस के पूर्वजों के नाम तस्दीक हुआ था। इस नामांतकरण में यह स्पष्ट अंकित किया गया था कि बालू फौत हो चुका है जिसके कोई वारिस नहीं है इस आधार पर नामांतकरण संख्या 110 निरस्त कर दिया जबकि अपीलांटस बालू के विधिक वारिसान है । अपीलांटस द्वारा यह तथ्य भी स्पष्ट कर दिया था कि रेस्पो0 संख्या 1 के पख में दिनांक 8.6. 1981 को तथाकथित विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में आज दिन तक नामांतकरण नहीं खोला गया है एवं रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 12.6.1984 को नियमन किया गया था । उक्त नियमन मं भी यह तथ्य अंकित किये गये थे कि बालू पुत्र शिवलाल अर्थात् अपीलांटस के पूर्वाधिकारी का कब्जा शांति से चला आ रहा है, बालू फौत होने पर रेस्पो0 संख्या 1 वारिस बता कर नियमन की गई है जबकि रेस्पो0 संख्या 1 अपीलांटस के पूर्वाधिकारी बालू पुत्र शिवलाल का वारिस नहीं है । अधी0न्याया0 ने धार 212 के महत्वपूर्ण घटक अपीलांटस के पक्ष में साबित होने के बावजूद धारा 212 के प्रार्थना पत्र को निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व इसके पुत्र देवकरण, ओमप्रकाश नाबालिग के रूप में दिनांक 8.6.1981 को विक्रय पत्र निष्पादित किया गया था एवं दिनांक 15.9.1976 को विक्रय इकरारनामा तैयार किया गया है जो फर्जी व कुटरचित है क्योंकि उक्त दिनांक को अपीलांटस के पूर्वाधिकारी अधिकार अभिलेख में खातेदार ही नहीं थे इसलिये उनके द्वारा तथाकथित विक्रय पत्र एवं इकरारनामा निष्पादित किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 स्वीकार कर रेस्पो0 संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का आदेश प्रदान करावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 592,

आर0आर0टी0 2012 (2) पेज 823, डी0एन0जे0 2007–2008 सुप्रीमकोर्ट पेज 154 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित आराजी खसरा नंबर 84 वादी के पूर्वज बालू पुत्र शिवलाल द्वारा जरिये विक्रय इकरार दिनांक 15.9.1996 को अपने सगे भाई भैरू को बैचान कर कब्जा संभला दिया गया था तब से रेस्पो0 ही विवादित आराजी पर काबिज काश्त है । अपीलांटस के पूर्वाधिकारियों द्वारा एक बार विवादित आराजी का बैचान करने के उपरांत अपीलांटस के समस्त अधिकार विवादित आराजी में समाप्त हो चुके है जिन्हें अब इतने वर्षो उपरांत अपील/वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । रेस्पो0 संख्या 1 के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है जिसे निरस्त कराये बिना अपीलांटस को किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नही हो सकता है। प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के घटक अपीलांटस के पक्ष में नहीं होने से विद्वान अधी0न्याया0 ने अपीलांटस का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांटस का कथन है कि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 84 रकबा 6–13–00 ग्राम नंवा तहसील किशनगढ़ स्थित भूमि को इकरारनामे के आधार पर बैचान पर प्रत्यर्थी को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है जबकि अपीलाधीन भूमि अपीलांट की पुश्तैनी भूमि है जिस पर रेस्पो0 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर गलत इंद्राज करवाया गया है एवं गलत इंद्राज के आधार पर अपीलांट के कब्जे काश्त में दखल करने पर आमादा है । अपीलांट के इन कथनों के संबंध में राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । जमाबंदी संवत् 2069 में खसरा नंबर 84 श्रीमती छोटी पत्नि भैरू की खातेदारी में दर्ज है । एवं जमाबंदी संवत् 2046 से 2049 मे खसरा नंबर 84 श्रीमती छोटी के नाम दर्ज है, इसी प्रकारण जमाबंदी संवत् 2050 से 2053, संवत् 2054 से 2057, संवत् 2041, 2042 से 2045, 2046से 2049 इन सभी जमाबंदियों में अपीलाधीन भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 श्रीमती छोटी पत्नि भैरू की खातेदारी में दर्ज है । धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के निस्तारण के समय तीनों घटक प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलांट के पक्ष में सिद्ध नहीं होकर प्रत्यर्थी श्रीमती छोटी के पक्ष में सिद्ध पाये जाते है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है । पक्षकारान के हक व अधिकार मूल वाद में साक्ष्य उपरांत तय किये जाते है । हम विद्वान अधी0न्याया0 के आदेश से सहमत है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.8.2015 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर